



4

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com

फोन/ फैक्स नं० :- 01364 - 233505::

पता :- साई की मढ़ी निकट जवाही बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक 1405 / 121(2) /

दिनांक 03/01/2017::

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन

विकास एवं निर्माण निगम, रुद्रप्रयाग।

विषय :-

जनपद रुद्रप्रयाग में जलोत्सारण योजना हेतु 0.02 है० वन भूमि गैर ववानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को हस्तान्तरण करने के संबंध में।

सन्दर्भ :-

उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-489/एक्स-4-16/2(33)/2015 दिनांक 22.12.2016।

उत्तराखण्ड शासन ने उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की दी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रदत्त अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में जमा की जाने वाली धनराशियों का डिमांड नोट निम्न प्रकार प्रेषित है।

- (1) शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आसपास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखारखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड की पत्र संख्या-596/3-5-2 दिनांक 19.08.2015 में उल्लिखित वसूली वर्ष 2016-17 के लिये निर्धारित दर के अनुसार 100 वृक्ष @ 1000.00 = 100000.00 रुपये (एक लाख) मात्र जमा की जानी है।
- (2) शर्त संख्या-2 के अनुपालन में ऑन लाईन भरे गये प्रपत्र-भाग-2 के अनुसार प्रशानगत क्षेत्र इको क्लास-V के अन्तर्गत है तथा हरियाली का घनत्व 0.10 है। तदनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0-सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित वसूली वर्ष 2016-17 के लिये निर्धारित दर के अनुसार रुपये 0.020 hac. @ 657000.00/hac. = 13140.00 (तेरह हजार, एक सौ चालीस) मात्र की धनराशि जमा की जानी है।

संलग्नक :- सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति।

उप वन संरक्षक,

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या

दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

J.F.F.

J.F.F.

को
अ. व. व. P.M. 01/01/2017

को
अ. व. व. को